market. The capacity of two-wheeler scooters as such therefore cannot be specified. However, the following major two-wheeler manufacturers are predominantly engaged in manufacture of two wheeled scooter within their approved capacity as indicated below:—

	Approved capacity
(1) Bajaj Auto Limited	5,70,000
(2) Lohia Machine Limited	1,00,000
(3) Scooter India Limited	1,50,000
(4) Andhra Pradesh Scooter Limited	1,60,000
(5) API	48,000
(6) Maharashtra Scooter Limited	87,000

(b) The total production of two-wheeler scooter during the year 1985-86 was 478 thousand in nos. It is expected that more than 600 thousand two-wheeler scooters would be produced in 1986-87.

गैर-कानूनी कोयला खानें

1243. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में ऐसी कितनी गैर-कानूनी कोयला खानें चलाई जा रही हैं जिसमें बार-बार दुर्घटनाएं होती रहती हैं; और

(ख) क्या सरकार इन छोटी अवांछित और उपेक्षित कोयला खानों को ठेके पर देने का विचार रखती है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे): (क) कोयला खान (अधिग्रहण) अधिनियम में संशोधन 1976 में किया गया था जिसमें अधिनियम द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से इतर किसी भी अन्य व्यक्ति को भारत में किसी तरह के कोयले के खनन-कार्य करने पर पाबंदी लगा दी गई थी और लोहा और इस्पात के उत्पादन से जुड़ी पार्टियों को छोड़कर निजी पार्टियों के पक्ष में स्वीकृत कोयला निकालने तथा उसकी खुदाई करने से संबंधित सभी पट्टे रद्द कर दिए गए थे गैर-कानूनी कोयला-खनन को दंडनीय अपराध भी बनाया गया था और इसके लिए तीन वर्ष तक की कैद और 20,000/- रुपए तक जुर्माना हो सकता है। उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 11-4-1980 और 7-5-1980 के अपने निर्णय में इन प्रावधानों को वैध माना है। इस लिए कानून द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से इतर अन्य किसी व्यक्ति के कानूनन कोयला खान मालिक बनने अथवा कोयले की खान में खुदाई का प्रश्न नहीं उठता। परन्तु कोयला पट्टी विशाल है और कुछ व्यक्ति कभी-कभी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं और कहीं-कहीं चोरी से कोयले का छुटपुट गैर-कानूनी खनन करते है। चूंकि यह काम चोरी-छिपे किए जाते है, इसलिए ऐसे खनन का कोई निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

राज्य सरकारों और कोयला कंपनियों से कहा गया है कि अपराधियों के विरुद्ध वे समेकित कारवाई करें। इस पर राज्य सरकारों ने जिला प्राधिकारियों को निर्देश जारी किए है। कोयला कंपनियों को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि उन्हें जब और जहां कोयले के गैर-कानूनी खनन का पता चले तो वे राज्यों में कानून लागू करने वाले प्राधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करें।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।